



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 15.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/22 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 206/22 धारा 380 भादवि एवं थाना बालैनी के मु0अ0सं0 119/2022 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 04 पंखे, विघुत केबल तार व 02 मोबाइल फोन बरामद ।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 07.09.2022 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सुभाष पुत्र हरबीर सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 06/07.09.2022 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा वादी व वादी के पड़ोसियों के नलकूपों से तार व स्टार्टर चोरी कर लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर



थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 198/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 14.09.2022 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सहस्रबाहु यादव पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी एमआईजी फ्लेट ईस्ट ऑफ लोनी दिल्ली- 93 ने सूचना दी कि दिनांक 16.08.2022 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी के रॉयल कान्वेन्ट स्कूल चमरावल से सीसीटीवी कैमरा, रिकॉर्डर बी स्क्रीन, सोलर पैनल बैटरी, पंखे, इन्वर्टर चोरी चोरी कर लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना के आधार पर मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 198/2022 धारा 379 भादवि व मु०अ०सं० 206/2022 धारा 380 भादवि एवं थाना बालैनी के मु०अ०सं० 119/2022 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 04 पंखे, विद्युत केबल तार व 02 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- आकाश त्यागी पुत्र कृष्णपाल त्यागी निवासी ग्राम कहरका थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2- इमरान उर्फ मन्नू पुत्र इरशाद उर्फ पप्पू निवासी ग्राम कहरका थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3- आस मौहम्मद पुत्र यामीन निवासी ग्राम कहरका थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4- मोमीन अन्सारी पुत्र इरशाद उर्फ पप्पू निवासी ग्राम कहरका थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 04 पंखे (सम्बन्धित मु०अ०सं० 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत)।
- चोरी किया हुआ विद्युत केबल तार (सम्बन्धित मु०अ०सं० 198/2022 धारा 379/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत)।
- चोरी किये हुए 02 मोबाइल फोन जिनमें एक फोन MI कम्पनी व एक फोन सैमसंग कम्पनी कीपैड (सम्बन्धित मु०अ०सं० 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत)।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आकाश त्यागी का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 481/2020 धारा 394/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-मु०अ०सं० 04/2021 धारा 307/411/414/417/34 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-मु०अ०सं० 06/2021 धारा 392 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।
- 4-मु०अ०सं० 123/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।

- 6-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
7-मु0अ0सं0 198/2022 धारा 379/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
8-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- अभियुक्त इमरान उर्फ मन्नू का आपराधिक इतिहास-**
- 1-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2-मु0अ0सं0 198/2022 धारा 379/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- अभियुक्त आस मौहम्मद का आपराधिक इतिहास-**
- 1-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2-मु0अ0सं0 198/2022 धारा 379/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- अभियुक्त मोमीन अन्सारी का आपराधिक इतिहास-**
- 1-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2-मु0अ0सं0 198/2022 धारा 379/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3-मु0अ0सं0 206/2022 धारा 380/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह ।
2- उ0नि0 श्री अख्तर अली ।
3-का0 556 इल्यास अहमद ।
4-का0 912 सूरज कुमार ।
5-745 गुलवीर सिंह ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 15-09-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 764/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 764/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- माजिद पुत्र जमशेद निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- शाहरूख खान पुत्र महबूब निवासी ग्राम सरूरपुर कलाँ थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त माजिद उपरोक्त-

- 1-मु0अ0सं0 10/22 धारा 395/397/326/308 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 421/22 धारा 399/401 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 764/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

अभियुक्त शाहरुख खान उपरोक्त –

1-मु0अ0सं0 10/22 धारा 395/397/326/308 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 421/22 धारा 399/401 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 764/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- निरीक्षक अपराध श्री इन्द्रपाल सिंह थाना सिंघावली अहीर

2- उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर

3- का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर

4- का0 1076 विकास यादव थाना सिंघावली अहीर



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक- 15.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाना सिंघावली अहीर के मु0अ0सं0 209/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर के मु0अ0सं0 209/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-पवन पुत्र सन्तोष निवासी ग्राम सुभानपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 41/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम व 467/468/471/420/120बी भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 209/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 05 पेटी व 144 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 पेटी व 144 पच्चे देशी



शराब हरियाणा मार्का व तस्करी में प्रयुक्त एक स्कूटी नम्बर- DL- 7SBU- 3534 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राजीव पुत्र किरणपाल निवासी कच्चा बलरामनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 पेटी व 144 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक स्कूटी नम्बर- DL- 7SBU- 3534

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि० श्री दीपक कुमार,कोतवाली बागपत

2-का० 885 हरिओम, कोतवाली बागपत

3-का० 659 विक्रम सिंह ,डायल 112 PRV 2955 बागपत

4-हो०गा० 540 कपिल शर्मा , डायल 112 PRV 2955 बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 1148/21 धारा 409 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.12.21 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी राजकुमार ब्रांच मैनेजर CMS इन्फो सिस्टम्स निवासी डी ब्लॉक आर्य समाज मन्दिर रोड शास्त्री नगर मेरठ ने सूचना दी कि जनपद बागपत क्षेत्र में एटीम में कैश लॉडिंग के लिए नियुक्त अभियुक्त 1. आकाश पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम शाहजहापुर तिरोगा उर्फ नवादा थाना बालैनी



जनपद बागपत व 2. विपिन तोमर पुत्र सौदान निवासी ग्राम फतेहपुर पुड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा ATM में लॉडिंग हेतु 71,34,800/ रुपये में से 44,31,800/ रु का गबन करना व 27,00,000/ रुपये वापस कर दिये थे । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 1148/21 धारा 406 भादवि पंजिकृत किया गया । अभियोग में विवेचना के आधार पर धारा 406 भादवि को धारा 409 भादवि में तरमीम किया गया ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त आकाश पुत्र धर्मवीर उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिससे 5800/ रूपये नगद बरामद हुये थे। जिसके आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1148/21 धारा 409/411 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विपिन तोमर पुत्र सौदान निवासी ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री रजनीश कुमार त्यागी कोतवाली बागपत।

2-का0 160 रिंकू थाना कोतवाली बागपत।

3-का0 421 अंकुल सिंह थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 563/22 धारा
147/148/149/323/307/452/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.06.22 को थाना कोतवाली बागपत पर समेदीन पुत्र जमालुद्दीन निवासी माता कालोनी करबा व थाना बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. आस मौहम्मद 2. दीन मौहम्मद 3. उमरदीन पुत्र शरफुद्दीन 4. राशिद पुत्र उमरद्दीन 5. आसिफ पुत्र आस मौहम्मद 6. सादाब पुत्र उमरद्दीन 7. दानिश पुत्र दीन मौहम्मद 8. इस्लाम 9. शहीद व अन्य 04-05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के लडके वसीम पर जानलेवा हमला करना व बचाने आये परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 563/22 धारा 147/148/149/323/307/452/504 भादवि पंजिकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 563/22 धारा 147/148/149/323/307/452/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-इस्लाम पुत्र सलमुद्दीन निवासी मौ0 माता कालोनी कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरी0 श्री रजनीश त्यागी कोतवाली बागपत ।

2-का0 647 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

3-हो0गा0 363 शौकीनपाल थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 15.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 889/22 धारा 417/504/506
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 14/09/2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. युसुफ पुत्र मेंहदी हसन व 2. मुरसलीन उर्फ काला पुत्र जगवीर हसन निवासीगण ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी को फोन पर जान से मारने की धमकी देना एवं सरकारी विभागों में नियुक्त लोगों को स्वयं को ग्राम प्रधान संदीप कुमार बताकर उन्हें गालिया देना व जान से मारने की धमकी दी गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 889/22 धारा 417/504/506 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 889/22 धारा 417/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-युसुफ पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि० श्री सुरेश कुमार कोतवाली बागपत ।

2-का० 421 अंकुल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3-का० 160 रिंकू थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 15.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 863/22 धारा 323/504/308
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 06.09.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्त

1. सावन पुत्र मुकेश व 2. प्रवेश पुत्र गोकल निवासीगण ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादिया के पति गौरव के साथ गाली-गलौच कर मारपीट की, जिससे वादिया का पति गौरव बेहोश हो गया । इस सम्बन्ध में

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 863/22 धारा 323/504/308 भादवि पंजिकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 863/22 धारा 323/504/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-प्रवेश पुत्र गोकल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री विपिन कुमार कोतवाली बागपत।

2-का0 511 धर्मेन्द्र थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 15.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 244/2022 धारा 279,338,304ए,427
भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

दोघट पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 244/2022 धारा 279,338,304ए,427



भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-जौहर सिंह पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम मुकीमपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री महेशचन्द

2-है०का० 334 मुनिदेव



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनाँक 15.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 240/22 धारा 376/511 भादवि व 9m/10 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 240/22 धारा 376/511 भादवि व 9m/10



पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सुशील पुत्र ओमबीर सिंह निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नत्थुलाल

2-का0 587 अंकुल



**प्रेस नोट
थाना खेकड़ा**

दिनांक 15.09.22

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा



रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-अमित पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक-15.09.2022

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की एक मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है । जिसके कब्जे से चोरी की एक मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर रंग काला फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- अंकुश पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम लोयन-मलकपुर थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की एक मो०सा० हीरो होण्डा स्पलेण्डर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री प्रदीप सिंह नादर
- 2- का० 774 धर्मेन्द्र सिंह
- 3- का० 447 पंकज कुमार



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 15.09.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 879/22 धारा 354/354डी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 879/22 धारा



354/354डी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-लोकेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री भारतवीर सिंह डायल 112 थाना बडौत

2- है0का0 158 प्रमोद कुमार थाना बडौत

3- का0 1030 शुभम सारस्वत थाना बडौत

4- हो0गा0 220 नरेश थाना बडौत



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 15.09.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 869/22 धारा 323/307 में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.22 को थाना बडौत पर वादी श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला नवयुग कालोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके पुत्र अभिषेक के साथ अभियुक्त अजय व उसके 2-3 साथियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर घायल कर दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त



तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 869/22 धारा 323/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 869/22 धारा 323/307 भादवि में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सत्यवीर पुत्र अभिमन्यु निवासी पट्टी मीरापुर खत्री गढी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 5- उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना बडौत
- 6- का0 166 कुलदीप सिंह थाना बडौत
- 7- का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत